

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD )

\*\*\*\*\*

S.N.J

RBE No. 175/2003

New Delhi, dated 30.09.2003

No.E(P&A)I-2001/CPC/LE-3

The General Manager (P),  
Northern Railway,  
Baroda House,  
New Delhi.

Sub: Entitlement to 10 days Earned Leave on full pay during a calendar year in lieu of 20 days LHAP to House Keepers, Junior Matrons and Dormitory Supervisors in Oak Grove School, Jharipani.

Ref: (i) Your letter No.843E/33/Pt.VII/EVI, dated 29.05.95 and 29.03.2001.

(ii) Board's letters No.E(P&A)I-95/CPC/LE-2, dated 07.08.97 and of even number, dated 27.04.2001.

The proposal contained in your above cited letters has been re-examined and it has been decided by the Board that the categories of Hostel Management Staff such as House Keepers, Junior Matrons and Dormitory Supervisors in Oak Grove School, Jharipani may be treated as Vacation Staff at par with the teaching staff and be governed by the leave entitlements, as contained in Rule 525 of Indian Railway Establishment Code, Volume-I 1985 Edition (1995 Reprint Edition).

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

3. Kindly acknowledge receipt.

*Nadira Razaq*

(NADIRA RAZAK)  
JOINT DIRECTOR ESTT.(P&A),  
RAILWAY BOARD.

No.E(P&A)I-2001/CPC/LE-3

New Delhi, dated 30.09.2003

Copy to FA&CAO, Northern Railway, Baroda House, New Delhi.

*Nadira Razaq*

(NADIRA RAZAK)  
JOINT DIRECTOR ESTT.(P&A),  
RAILWAY BOARD.

No.E(P&A)I-2001/CPC/LE-3

New Delhi, dated 30.09.2003.

Copy to the Principal Director of Audit, Northern Railway, Baroda House, New Delhi.

*Menams*  
for Financial Commissioner/Railways.

Copy to: E(NG)I, F(E)III (with 4 spares), E(W), PC V, PPS/AM(S).

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (पी एण्ड ए) 1-2001/सी पी सी/एल ई-3

नई दिल्ली, दिनांक 30.09.03

महाप्रबंधक (कार्मिक),  
उत्तर रेलवे,  
बड़ौदा हाउस,  
नई दिल्ली.

**विषय :-** ओक ग्रोव स्कूल, झारीपानी में हाउस कीपरों, जूनियर मेट्रनों तथा शयनशाला (dormitory) अधीक्षकों को 20 दिन के अर्द्ध वेतन अवकाश के बदले एक कैलेंडर वर्ष के दौरान पूरे वेतन पर 10 दिन के अर्जित अवकाश की पात्रता.

**संदर्भ :-** (i) आपका दिनांक 29.5.95 तथा 29.3.01 का पत्र सं. 843 ई/33/पार्ट VII/ई VI

(ii) बोर्ड का दिनांक 7.8.97 का पत्र सं. ई (पी एंड ए) 1-95/सी पी सी/एलई-2 तथा दिनांक 27.4.01 का समसंख्यक पत्र.

आपके उपर्युक्त पत्रों में अंतर्विष्ट प्रस्ताव की बोर्ड ने पुनः जांच की है और यह विनिश्चय किया गया है कि ओक ग्रोव स्कूल झारीपानी में हाउस कीपरों, जूनियर मेट्रनों तथा शयनशाला (dormitory) अधीक्षकों जैसी होस्टल प्रबंधन कर्मचारियों की कोटियों को टीचिंग कर्मचारियों के समान वेकेशन कर्मचारियों के रूप में माना जाए तथा भारतीय रेल स्थापना संहिता, जिल्द-1 1985 संस्करण (1995 में पुनः मुद्रित संस्करण) के नियम 525 में अंतर्विष्ट किए गए अनुसार छुट्टी पात्रता द्वारा शासित किया जाए.

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

3. कृपया पावती दें.

नादिरा रजाक  
(नादिरा रजाक)  
संयुक्त निदेशक स्था (वेतन एवं भत्ता)  
रेलवे बोर्ड.

सं. ई (पी एण्ड ए) 1-2001/सी पी सी/एल ई-3

नई दिल्ली, दिनांक 30.09

प्रतिलिपि विस एवं मुलेधि, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली.

नादिरा रजाक  
(नादिरा रजाक)  
संयुक्त निदेशक स्था (वेतन एवं भत्ता)  
रेलवे बोर्ड.

सं. ई (पी एण्ड ए) 1-2001/सी पी सी/एल ई-3

नई दिल्ली, दिनांक 30.0

प्रतिलिपि प्रमुख निदेशक लेखा परीक्षा, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली को  
प्रेषित.

मुख्य निदेशक  
कृते वित्त आयुक्त/रेल